



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय , रायपुर (छ.ग.)

क्र. 106 / गोप. / वा.प्रा.परीक्षा / 2023

रायपुर, दिनांक 19/1/2023

// अधिसूचना //

वार्षिक परीक्षा 2023 की प्रायोगिक परीक्षा के लिए दिनांक 03/02/2023 से 25/02/2023 तक कराया जाना है। विशेष परिस्थिति में ही मुख्य परीक्षा प्रारंभ होने के 07 दिवस के पूर्व तक मान्य होगा।

तदनुसार उक्त प्रायोगिक परीक्षाओं के निर्विघ्न संपादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश निम्नानुसार है :-

1. स्वाध्यायी छात्र-छात्राओं को प्रायोगिक परीक्षाओं में उन्हीं महाविद्यालयों में सम्मिलित कराये जहां उनके द्वारा पंजीयन कराया गया है। उक्त प्रक्रिया विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक - 06, भाग - 04 की कंडिका 13 (03) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्देशित होगा :- "No non - Collegiate candidate shall be admitted an examination of the University unless such candidate if he has offered a subject for such examination for which a course of practical work is prescribed, has completed such work in a University Teaching Department or a school of Studies or a College and submits of the Registrar before the last date notified by the University a certificate of such completion from the Head of the Teaching Department or school of Studies or the Principal of the College. All Such candidates shall contact the Head of Teaching Department's or school of Studies or the Principal of Colleges immediately after the declaration of results of supplementary examination and shall get themselves registered in the Colleges/UTD or School of Studies concerned for completion of their Practicals."
2. प्राय यह देखने में आया है, कि कतिपय महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक की लिखित असमर्थता प्राप्त किए बिना ही अन्य बाह्य परीक्षकों से प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करा लिया जाता है, जो सर्वथा अनुचित है निर्देशित किया जाता है, कि बाह्य परीक्षकों की लिखित असमर्थता पत्र के अभाव में अन्य नियुक्ति मान्य नहीं की जाएगी तथा इसका पालन नहीं होने पर संपन्न की गई प्रायोगिक परीक्षाएं मान्य नहीं होगी।
3. विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक की परीक्षा लेने में असमर्थता संबंधी पत्र प्राप्त होने पर ही संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य अपने निकटस्थ महाविद्यालय के संबंधित विषय के वरिष्ठ प्राध्यापकों को बाह्य परीक्षकों के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे। यह व्यवस्था केवल स्नातक स्तर की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए ही होगी।

क्रमशः 02...

4. ऐसे शिक्षकों एवं अधिवक्ताओं की नियुक्ति बाह्य परीक्षकों के रूप में नहीं किया जाना चाहिए जो सह-परीक्षकों की सूची में सूचीबद्ध न हो।
5. प्रायः यह देखने में आया है कि कई छात्र प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जाते हैं ऐसा प्रायः छात्रों को सूचना प्राप्त नहीं होने पर या उनके कहीं अन्यत्र होने की स्थिति में या अस्वस्थ होने पर संभावित होता है। इसके परिणामस्वरूप प्रभावित छात्र अन्य महाविद्यालयों जहां वांछित विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं सम्पन्न नहीं हुई होती हैं, प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं। अतः ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोगिक परीक्षा तिथि निर्धारण की सूचना छात्रों को यथेष्ट समय पर प्राप्त हो सके। इस हेतु प्रायोगिक परीक्षा की सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों एवं समय सीमा में सूचना पटल पर चस्पा करें, ताकि अस्वस्थ तथा अन्यत्र रहने पर भी छात्र यथा समय प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। सभी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा एक ही बार में सम्पन्न कराया जाना श्रेयस्कर होगा।
6. प्रायोगिक परीक्षा की तिथि का निर्धारण बाह्य परीक्षक की सहमति से एवं पूर्वानुमति लेकर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पूर्व में अधिकृत बाह्य परीक्षकों को कतिपय महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा तिथि का निर्धारण कर सूचित किया जाता रहा है, जो व्यवस्था के विपरीत है।
7. प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक परीक्षा के अंकों की Entry शत प्रतिशत Online माध्यम से www.prsuuniv.in वेबसाइट में किया जाना है। Online माध्यम से ही छात्रों की उपस्थिति पत्रक प्राप्त किया जाना है। विशेष परिस्थिति में यदि कोई छात्र दूसरे महाविद्यालय से प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होता है, तो Online माध्यम से छात्र विवरण दर्ज कर प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित कराएँ।
8. Online Entry पश्चात् प्रिन्टेड मार्कस फाईल की एक प्रति आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक के हस्ताक्षर पश्चात् सील बंद करे।
9. महाविद्यालय में वार्षिक परीक्षा से संबंधित सभी प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न किए जाने के पश्चात् सभी परीक्षाओं के विषय वार पर्ण (online Generate किया हुआ) विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग में जमा कर पॉवती प्राप्त करें। अंक विवरण/पर्ण एक प्रति में जमा किया जाना है।
10. प्रायोगिक परीक्षाओं के सम्पन्न होते ही उनकी विवरणिका जिसमें प्रायोगिक परीक्षा तिथि परीक्षा का नाम, बाह्य परीक्षक का नाम, आंतरिक परीक्षक का नाम, छात्र संख्या की यथोचित जानकारी प्राप्तियों के लिफाफे भेजने के समय ही प्रेषित करें ताकि परीक्षकों के यात्रा देयकों/पारिश्रमिक देयकों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब न हो।

क्रमशः 03...

11 अधिकृत बाह्य परीक्षक यदि प्रायोगिक परीक्षा लेने में किसी कारणवश असमर्थ हो तो संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को लिखित रूप से असमर्थता पत्र प्रेषित करे अथवा दूरभाष से जानकारी देवे। अनुत्तरित रहना परीक्षा कार्य के प्रति लापरवाही माना जायेगा।

12 स्नातक स्तर के नियमित परीक्षार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन अंक (बी.ए./बी.एस-सी./बी.कॉम/बी.एच.एस-सी.(होम साइंस)/बी.सी.ए) दिनांक 03/02/2023 से 25/02/2023 तक विश्वविद्यालय वेबसाईट www.prsuuniv.in पर Online दर्ज किया जाना है।

प्रायोगिक परीक्षाओं के सुव्यवस्थित सम्पादन के लिए प्राचार्यों से निवेदन है कि अधिसूचना के समस्त तथ्यों की स्पष्ट जानकारी अपने महाविद्यालय के शिक्षकों को देवे। जिससे वे नियमानुसार परीक्षा संचालन कर सके।

टीप :- 1. कोई भी आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक बिना, Online Entry किये न भेजे।

2. आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंक एक प्रति (पर्ण/प्रतिपर्ण) में हो एवं लिफाफे के Online Print किया हुआ प्रपत्र जिसमें कक्षा, विषय, उपस्थित छात्र संख्या आदि दर्ज है को चस्पा करें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ.क्र. 107/गोप./वा.प्रा.परीक्षा/2023
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 19/1/2023

1. राज्यपाल के सचिव, छ.ग. शासन, रायपुर।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहा., पं.र.शु.वि.वि., रायपुर।
3. विश्वविद्यालय के समस्त संबद्ध महा., के प्राचार्यों को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षा के सम्पादनार्थ अपने अधिनस्थ विभागाध्यक्षों को इसकी सूचना अनिवार्य रूप से देवे।
4. विभागाध्यक्ष, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर अध्ययनशाला।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा) पं.र.शु.वि.वि., रायपुर।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर।
7. संचालक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता, सहकारी संघ मर्यादित आदर्श नगर,कांके रोड, रांची-झारखंड।
8. सम्पादक, समस्त, स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों की अग्रेषित इस आशय के साथ कि इस अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करेंगे।
को सूचनार्थ प्रेषित।


सहा. कुलसचिव (गोप.)